न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः– श्री ए.एच गौरी , आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 08/2018
अनवान :–

श्री भानू प्रतापसिंह गहलोत खाद्य सुरक्षा अधिकारी केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर

प्रार्थी

–: बनाम :–

1. श्री ओमप्रकाश ज्याणी पुत्र स्व. श्री भोमाराम ज्याणी एफबीओ, मैसर्स ज्याणी मावा भण्डार, पुरानी गजनेर रोड़ बीकानेर निवासी– जाटों का मौहल्ला, सर्वोदय बस्ती, भैरूजी के थान के पास बंगलानगर बीकानेर
2. श्री जगदीश ज्याणी पुत्र स्व. श्री भोमाराम ज्याणी एफबीओ, मैसर्स ज्याणी मावा भण्डार, पुरानी गजनेर रोड़ बीकानेर निवासी– जाटों का मौहल्ला, सर्वोदय बस्ती, भैरूजी के थान के पास बंगलानगर बीकानेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से – श्री महमूद अली, खादय सुरक्षा अधिकारी,
2. अप्रार्थी पक्ष की ओर से – श्री बजरंग छींपा अधिवक्ता

–: निर्णय :– **दिनांक 02.01.2019**

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री भानू प्रतापसिंह गहलोत, खादय सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 29.09.2017 को अप्रार्थीपक्ष श्री ओम प्रकाश ज्याणी एवं श्री जगदीश ज्याणी पुत्रगण स्व. श्री भोमाराम ज्याणी मैसर्स ज्याणी मावा भण्डार, पुरानी गजनेर रोड़, बीकानेर संस्थान के यहां कोल्ड स्टोर में आज जनता को विक्रय हेतु मावा जो कि 09 पीपों में (प्रत्येक पीपे में लगभग 18 कि.ग्रा.) रखा था। तदन्तर अमानक का शक होने पर एक पीपे में से अच्छी तरह हिला–मिलाकर एक किलोग्राम खाद्य पदार्थ मावा खाद्य कारोबारकर्ता श्री ओमप्रकाश ज्याणी को सूचित करते हुवे वास्ते नमूना जांच खरीदा। जिसकी कीमत 160/– रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता के तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 किलोग्राम मावा को हिला–मिलाकर अलग–अलग चार साफ, सुखी व खाली शीशीओं में बराबर–बराबर डालकर प्रत्येक शीशी में 20–20 बुंद फॉर्मेलीन 40 प्रतिशत डालकर एयर टाईट बंद किया तथा चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

पर स्टेट बी.ओ. जयपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ईई–1329 नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपड़ी कर, फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। उक्त एक सीलबन्द शीशी मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से दिनांक 16.10.2017 को जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें मावा सबस्टेण्डर्ड का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड मावा का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री बजरंग छींपा अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जबाब प्रस्तुत किया, तदन्तर दोनों पक्षों का कथन सुना गया।

3. प्रार्थी पक्ष की ओर से श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उपस्थित होकर बहस में निवेदन किया कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से मावा का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में Milk Fat content of the finished product (on dry weight basis) Not less than 30.0 % की तुलना में 14.35 % पायी गई है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां मावा सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ा) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थी अधिवक्ता ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई समस्त कार्यवाही एवं कथनों को अस्वीकार कर अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण स्वयं मावा का उत्पादन नहीं करते है अप्रार्थीगण बना बनाया मावा खरीद कर बेचते है तथा अप्रार्थीगण ने किसी प्रकार का भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। अप्रार्थीगण गरीब मजदूरी पेश व्यक्ति है बड़ी मुश्किल से अपना छोटा–मोटा काम धंन्धा करके परिवार का भरण–पोषण करते है । अतः जवाब को स्वीकार किया जाकर परिवाद को खारिज किये जाने का आदेश फरमावें।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

5. हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। जिस मावा का सेम्पल लिया गया था वह मावा अप्रार्थी की दुकान में पाया गया था । अप्रार्थी द्वारा उक्त मावा उत्पादन कर आम जनता को विक्रय करता है। पत्रावली में Food Analyst, State Central Public Health Laboratory, Jaipur की दिनांक 16.10.2017 की रिर्पोट संलग्न है इस रिर्पोट के अनुसार अप्रार्थी के यहां पाया गया मावा Milk Fat content of the finished product (on dry weight basis) Not less than 30.0 % की तुलना में 14.35% पाया गया है जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होने से सब–स्टेण्डर्ड का होना साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड का मावा विकय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2)(II) का उल्लंधन किया है । अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत रूपये 10,000/– अखरे दस हजार रूपये की शास्ति आरोपित करते है।

6. अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 02.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति राज्य अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक(ग्रामीण स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर वं अप्रार्थी पक्ष संख्या 1 ता 2 के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा) बीकानेर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

Scanned by CamScanner